



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112021-230962
CG-DL-E-06112021-230962

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4234]
No. 4234]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 2021/कार्तिक 12, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2021/KARTIKA 12, 1943

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2021

का.आ. 4595(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 12 जून, 2018 को प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 2412 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई और किये जाने के लिये लोप की गई संबंधित बातों को छोड़कर, केंद्रीय सरकार, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, एतद्वारा सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों से युक्त एक समिति का गठन करती है नामशः

1.	संयुक्त सचिव, पशु कल्याण प्रभारी, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	भारत के औषध महानियंत्रक के प्रतिनिधि (अधिकारी/ वैज्ञानिक जिनका स्तर उप सचिव से कम ना हो)	सदस्य
3.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के प्रतिनिधि (अधिकारी/ वैज्ञानिक जिनका स्तर उप सचिव से कम ना हो)	सदस्य
4.	भारतीय भेषज परिषद के प्रतिनिधि (अधिकारी/ वैज्ञानिक जिनका स्तर उप सचिव से कम ना हो)	सदस्य

	हो)	
5.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि (अधिकारी/ वैज्ञानिक जिनका स्तर उप सचिव से कम ना हो)	सदस्य
6.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधि (अधिकारी/ वैज्ञानिक जिनका स्तर उप सचिव से कम ना हो)	सदस्य
7.	डॉ. एस. जी. रामाचन्द्रा, निदेशक, आईसीएमआर - राष्ट्रीय पशु संसाधन जैव-चिकित्सा अनुसंधान सुविधा, हैदराबाद	सदस्य
8.	डॉ. नीरज खत्री, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक एवं विभागाध्यक्ष, पशु संसाधन और प्रयोग केंद्र (पशु सुविधा), सी.एस.आई.आर - सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान, सेक्टर 39-ए, चंडीगढ़	सदस्य
9.	डॉ. आर. एस. चौहान, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, पशु चिकित्सा विकृतिविज्ञान, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय, जी. बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड	सदस्य
10.	डॉ. प्रदीप आर चौधरी, वैज्ञानिक अधिकारी - जी, कैसर उपचार, अनुसंधान एवं शिक्षा का प्रगत केंद्र, टाटा स्मारक केंद्र, खारघर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र	सदस्य
11.	डॉ. प्रदीप कुमार यादव, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
12.	डॉ. यशपाल सिंह मलिक, संकायाध्यक्ष, पशु जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (गडवासू), लुधियाना, पंजाब	सदस्य
13.	डॉ. रविन्द्र कुमार सेहरावत, उपमंडल अधिकारी, पशुपालन और डेयरी विभाग, रोहतक, हरियाणा	सदस्य
14.	डॉ. पियूष कुमार, पशु चिकित्सा शल्य चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय, भूपानी, फरीदाबाद, हरियाणा	सदस्य
15.	प्रोफेसर अस्मिता गजभिये, प्रोफेसर, भेषज विज्ञान विभाग, डॉ. एच.एस. गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश	सदस्य
16.	प्रोफेसर मदन मोहन चतुर्वेदी, प्रोफेसर, प्राणि-विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
17.	डॉ. सुबीर एस. मजुमदार, प्रतिष्ठित प्रोफेसर, राष्ट्रीय पशु जैव-प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	सदस्य
18.	डॉ. वी.एस. हरिकृष्णन, प्रभारी वैज्ञानिक, प्रयोगशाला पशु विज्ञान प्रभाग, श्री चित्रातिरुणल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, पूजापुरा, त्रिवेंद्रम, केरल	सदस्य
19.	संयुक्त आयुक्त, पशु कल्याण प्रभारी, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

2. समिति का कार्यकाल, यदि पहले भंग न होतो, इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

[फा.सं. V-11011(14)/3/2021-सीपीसीएसईए- डीएडीएफ]

डॉ. ओ. पी. चौधरी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: पशुओं पर प्रयोग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति के पुनर्गठन की पूर्व अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में क्रमांक का.आ. 2412(अ) दिनांक 12 जून, 2018 के तहत प्रकाशित की गई थी जिसे अधिसूचना संख्या का.आ. 1727(अ) दिनांक 9 मई, 2019 तथा अधिसूचना का.आ. 2487(अ), दिनांक 21 जून 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Animal Husbandry & Dairying)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd November, 2021

S.O. 4595(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 (1) of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), and in supersession of the notification issued vide S.O.2412 (E) dated 12th June, 2018 published in Part II- Section3- Sub-section (ii) of the Gazette of India, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes a Committee consisting of the following persons as its Members, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:

1	Joint Secretary, In-Charge Animal Welfare Department of Animal Husbandry & Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, New Delhi	Chairman
2	Representative from Drug Controller General of India (Official / Scientist not below the rank of Deputy Secretary)	Member
3	Representative from Veterinary Council of India (Official / Scientist not below the rank of Deputy Secretary)	Member
4	Representative from Pharmacy Council of India (Official / Scientist not below the rank of Deputy Secretary)	Member
5	Representative from University Grant Commission (Official / Scientist not below the rank of Deputy Secretary)	Member
6	Representative from Animal Welfare Board of India (Official / Scientist not below the rank of Deputy Secretary)	Member
7	Dr. S.G. Ramachandra, Director, ICMR – National Animal Resource Facility for Bio-Medical Research, Ministry of Health & Family Welfare, GOI, Shamirpet, Hyderabad, Telangana	Member
8	Dr. Neeraj Khatri, Senior Principal Scientist & Head, Centre for Animal Resources & Experimentation (Animal Facility), CSIR – Institute of Microbial Technology, Sector 39-A, Chandigarh	Member
9	Dr. R.S. Chauhan, Professor & Head, Veterinary Pathology, College of Veterinary & Animal Sciences, G. B. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand	Member
10	Dr. Pradip R. Chaudhari, Scientific Officer G, Advance Centre for Treatment, Research and Education in Cancer, Tata Memorial Centre, Kharghar, Navi Mumbai, Maharashtra	Member
11	Dr. Pradeep Kumar Yadav, Sr. Veterinary Officer, All India Institute of Medical Sciences, Delhi	Member
12	Dr. Yashpal Singh Malik, Dean, College of Animal Biotechnology, Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University (GADVASU), Ludhiana, Punjab	Member
13	Dr. Ravinder Kumar Sehrawat, Sub-Divisional Officer, Deptt. of Animal husbandry and Dairying, Rohtak, Haryana	Member
14	Dr. Piush Kumar, Veterinary Surgeon, Govt. Veterinary Hospital, Bhupani, Faridabad, Haryana	Member
15	Prof. Asmita Gajbhiye, Professor, Deptt. of Pharmaceutical Sciences, Dr. H.S. Gour Vishwavidyalaya, Sagar, Madhya Pradesh	Member
16	Dr. Madan Mohan Chaturvedi, Professor, Deptt. of Zoology, University of Delhi, Delhi	Member
17	Dr. Subeer S. Majumdar, Distinguished Professor,	Member

	National Institute of Animal Biotechnology, Hyderabad, Telangana	
18	Dr. V. S. Harikrishnan, Scientist in-charge, Division of Laboratory Animal Science, Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Poojappura, Trivandrum, Kerala	Member
19	Joint Commissioner, In-Charge Animal Welfare In-Charge Animal Welfare Department of Animal Husbandry & Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, New Delhi	Member Secretary

2. The term of the Committee shall, unless sooner dissolved, be three years from the date of its constitution.

[F. No. V-11011(14)/3/2021-CPCSEA-DADF]

Dr. O. P. CHAUDHARY, Jt. Secy.

Note: Last notification of re-constitution of the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3 sub-section(ii) vide S.O. 2412(E) dated 12th June, 2018 was amended vide notification number S.O. 1727(E) dated 9th May, 2019 and S.O 2487(E) dated 21st June, 2021.